



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022024-252310  
CG-DL-E-23022024-252310

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2024/फाल्गुन 2, 1945

No. 107]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2024

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2023

सं. पीएफआरडीए/16/12/06/0001/2017-आरईजी- कस्ट.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ड.), खंड (ढ), खंड (ण), खंड (त) और खंड (ब) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

- इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2023 है।
- ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित (इसके पश्चात 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित), में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं।

**I. मुख्य विनियमों के विनियम 1 के उप-विनियम (2) में, विनियम के उद्देश्य को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“इन विनियमों का उद्देश्य प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पंजीकरण, निगरानी, पर्यवेक्षण और आंतरिक नियंत्रण के लिए ढांचे को मानकीकृत करना है ताकि इसे अधिनियम के अंतर्गत आने वाली पेंशन स्कीमों की आस्तियों की सुरक्षा के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण और परिचालन प्रबंध के लिए उच्च मानक स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके और जोखिम का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।”

**II. मुख्य विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,**

क. खंड (ग) हट जाएगा;

ख. खंड (ड.) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ड.) “अभिरक्षक सेवाओं” का अर्थ निवेश दिशानिर्देशों के अनुरूप, प्राधिकरण द्वारा अनुमत सीमा के अलावा सेबी (अभिरक्षक) विनियम, 1996 (तत्संबंधी संशोधनों के साथ) के अंतर्गत परिभाषित अभिरक्षक सेवाएं होंगी;”

ग. खंड (छ) हट जाएगा;

घ. खंड (ज) हट जाएगा;

**III. मुख्य विनियमों के विनियम 2 का उप-विनियम (2) हट जाएगा;****IV. मुख्य विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“(3) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों और अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के प्रावधानों का अनुसरण करने के अलावा, अधिनियम के अंतर्गत शामिल पेंशन स्कीमों से संबंधित कोई भी अन्य गतिविधि आरम्भ नहीं करेगा।”

**V. मुख्य विनियमों के विनियम 3 का उप-विनियम (4) हट जाएगा;****VI. मुख्य विनियमों के विनियम 3 का उप-विनियम (5) हट जाएगा;****VII. मुख्य विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“(2) एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से चयन प्रक्रिया आरम्भ होने पर, प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के तौर पर व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक पात्र संस्था, अप्रतिदेय आवेदन शुल्क और उस पर लागू करों और शुल्कों, जो कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, के साथ, आवेदन कर सकती है।”

**VIII. मुख्य विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“5. अपेक्षाओं के अनुरूप आवेदन.- (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने हेतु किया जाने वाला आवेदन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकृत हो सकता है, अर्थात् -

(क) जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं हो और इन विनियमों और चयन प्रक्रिया में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो;

(ख) उसमें प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना शामिल नहीं हो;

(ग) जो त्रुटिपूर्ण, गलत या भ्रामक प्रकृति का हो या वस्तुगत सूचना का खुलासा करने में चूक की गई हो;

(घ) इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता अपेक्षाओं और चयन प्रक्रिया में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं किया गया हो; या

(ड.) प्राधिकरण की राय में, आवेदन, अभिदाताओं के हित में या अधिनियम के अंतर्गत शामिल पेंशन स्कीमों के व्यवस्थित विकास में सहायक नहीं हो।”

**IX. मुख्य विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“(2) आवेदक, प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त समय के भीतर, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए वांछित सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।”

**X. मुख्य विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(2) सूचना के सत्यापन के उद्देश्य से, प्राधिकरण अपने किसी अधिकारी, किसी अंकेक्षक या किसी बाहरी एजेंसी सहित किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।"

**XI. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

**"8.पात्रता मानदंड.-** (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र को अनुदत्त करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला आवेदक पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए अपना आवेदन जमा कर सकता है :-"

**XII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(क) आवेदक, आवेदन की तिथि पर, पिछले पांच वर्षों से प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ पंजीकृत हो;"

**XIII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(ख) किसी भी पेंशन निधि अथवा उसके प्रायोजक, न्यासी बैंक अथवा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा एक दूसरे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश प्रतिभूतियों के अभिरक्षक में बीस प्रतिशत से कम होगा।

बशर्ते कि, उसी समूह में पेंशन निधि का प्रायोजक या केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या उनके सहयुक्त जो बीस प्रतिशत हिस्सेदारी या अभिरक्षक की शेयर पूंजी के मताधिकार से अधिक रखता हो, वह निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत प्राधिकरण के साथ अभिरक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकता है :

- (i) प्रायोजक, सहयुक्त या नियंत्रि कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, का नेट वर्थ (शुद्ध मालियत) हर समय, कम से कम पचास हजार करोड़ रुपये हो;
- (ii) अभिरक्षक के अधिकांश निदेशक वे होंगे, जो प्रायोजक या उसके सहयुक्तों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों;
- (iii) अभिरक्षक और पेंशन निधि एक दूसरे की समनुषंगी कंपनी नहीं होंगे;
- (iv) कोई भी व्यक्ति अभिरक्षक और पेंशन निधि, दोनों का निदेशक नहीं होगा; और
- (v) अभिरक्षक और पेंशन निधि को एक वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे योजनाओं के साथ अपने व्यवहार में एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे।

**स्पष्टीकरण :-** इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "नियंत्रि कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 2(46) में प्रदान किया गया है।"

**XIV. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(ग) आवेदक की अभिरक्षा के अंतर्गत आस्तियों की धारिता, चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदत्त परिभाषा के अनुसार होगी;"

**XV. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) में खंड (ग) के तुरंत बाद नया खंड (घ) निम्नानुसार अन्तर्निविष्ट किया जाएगा:**

"(घ) चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कोई अन्य मानदंड या शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।"

**XVI. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) में, उप-विनियम का शीर्षक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(2) पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण, अधिनियम के अंतर्गत शामिल पेंशन स्कीमों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी या सभी मामलों को ध्यान में रखेगा जो प्रतिभूतियों के अभिरक्षक की गतिविधियों से सम्बंधित है, किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं है, - अर्थात्"

**XVII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(ख) आवेदक के पास अधिनियम के अधीन शामिल पेंशन स्कीमों की गतिविधियों को अपने अन्य अभिरक्षक ग्राहकों से पृथक करने और अपनी विशिष्ट गतिविधियों के संबंध में फ़ायरवॉल बनाए रखने की क्षमता है;"

**XVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(ग) आवेदक के पास अधिनियम के अधीन शामिल पेंशन स्कीमों के सन्दर्भ में अभिरक्षक सेवाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में किसी अन्य लागू विधि के अंतर्गत अपेक्षित अनुमोदन अभिप्राप्त है;"

**XIX. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(घ) आवेदक के पास पर्याप्त कर्मचारीवृन्द और सक्षम व्यक्ति हैं, जिनके पास प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के कारोबार के प्रबंधन की योग्यता, सामर्थ्य और अनुभव है;"

**XX. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ड.) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(ड.) आवेदक ने एक पूर्ण नियमावली और अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रभावी और सक्षम निर्वहन के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण कर लिया है और अपनी अन्य गतिविधियों के साथ सन्निकट व्यवहार बनाए हुए है।"

**XXI. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) का खंड (च) हट जाएगा;****XXII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) का खंड (छ) हट जाएगा;****XXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ज) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

"(ज) आवेदक और उसके प्रधान अधिकारी, एक 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' हैं, जैसा कि तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है।"

**स्पष्टीकरण:** इस उद्देश्य के लिए 'प्रधान अधिकारी' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अंतर्गत परिभाषित आवेदक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से होगा; और"

**XXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 8 का उप-विनियम (3) हट जाएगा;****XXV. मुख्य विनियमों के विनियम 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

**"9. कुछ मामलों में पात्रता मानदंड से छूट.-** (1) प्रत्येक आवेदक को विनियम 8 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरा करना होगा।

- (2) यदि कोई आवेदक विनियम 8 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट कोई मानदंड पूरा नहीं करता है, तो वह ऐसे मानदंडों से छूट के लिए आवेदन करके प्राधिकरण से अनुरोध कर सकता है।
- (3) उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट कोई भी बात आवेदक को कोई छूट दिए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (4) प्राधिकरण की राय में, यदि विनियम 8 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत शर्तों की पूर्ति न होने पर, जिसमें छूट मांगी गई है, अभिदाताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से छूट की अनुमति दे सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकरण सशर्त पंजीकरण प्रदान कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है, जो वह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझे;"

**XXVI. मुख्य विनियमों के विनियम 10 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

**"10. पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की प्रक्रिया और पंजीकरण शुल्क का संदाय.-** (1) विनियम 4 के अधीन, प्राधिकरण के आमंत्रण के प्रत्युत्तर में प्राप्त किसी आवेदन का मूल्यांकन इन विनियमों और आवेदन आमंत्रित करते समय निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

- (2) चयन प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकित सर्वोत्तम मूल्य प्रस्ताव को अधिनियम के अंतर्गत शामिल पेंशन स्कीमों के लिए प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने की पेशकश की जाएगी।
- (3) उप-विनियम (2) के अधीन प्रस्ताव स्वीकार होने पर, आवेदक को दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट लागू कर और शुल्क के साथ पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
- (4) आवेदक से लागू कर और शुल्क के साथ पंजीकरण शुल्क स्वीकार करने पर, प्राधिकरण, विनिर्दिष्ट नियमों और निबंधनों के अनुरूप, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त कर सकता है।

- (5) कोई भी विद्यमान प्रतिभूतियों का अभिरक्षक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए किसी प्रकार की वरीयता अथवा विशेषाधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- (6) जहां विद्यमान प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, किसी नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है या इन विनियमों के अधीन उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, तो विद्यमान प्रतिभूतियों का अभिरक्षक:
- (क) उन आस्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचनाओं को जो उसके नियंत्रण में हैं, प्राधिकरण के निर्देशानुसार दूसरे प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को अपनी लागत पर हस्तांतरित करेगा; और
- (ख) ऐसे सभी अंतरण या कार्रवाई पूरी होने तक प्राधिकरण के निर्देश के अधीन रहेगा।”

## XXVII. मुख्य विनियमों के विनियम 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**"11. पंजीकरण प्रमाणपत्र के नियम और शर्तें.-** आवेदक अथवा प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को अनुदत्त किया जाने वाला पंजीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :-

- (क) वह इन विनियमों में निर्दिष्ट लागू कर और शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क का संदाय करेगा;
- (ख) वह अधिनियम के अधीन शामिल पेंशन स्कीमों के अंतर्गत प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियों से संबंधित अभिरक्षा और निक्षेपागार सेवाएं प्रदान करेगा;
- (ग) वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट निर्धारित पात्रता मानदंडों को सभी समय पर पूरा करेगा और उनका अनुपालन करेगा।

इस प्रयोजन के लिए, वह वार्षिक आधार पर प्राधिकरण को पात्रता शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र, वित्तीय वर्ष के लिए बहीखाते बंद होने के तीस दिनों के भीतर या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

- (घ) पंजीकरण से सम्बंधित तथा पंजीकरण के पश्चात एक प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में उसके सभी प्रतिनिधित्व / अभ्यावेदन, जमानत, सूचना, प्रकटीकरण, रिपोर्ट, दस्तावेज, और विवरण सत्य, पूर्ण, शुद्ध और सभी प्रकार से ठीक हैं और किसी वस्तुगत तथ्य के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण या लोप न हो और पंजीकरण के समय पूर्व में जमा कराये गए विवरणों और सूचनाओं में किसी भी प्रकार के वस्तुगत परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को देगा;

- (ङ.) उसने प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में पंजीकरण को अंगीकार करने के लिए सभी आवश्यक सोपानों और कार्यों को पूरा कर लिया है और अपने दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए स्वयं को आबद्ध कर करता है और चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विनियमों और आवश्यकताओं के प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा;

- (च) वह प्राधिकरण द्वारा निर्देशित या इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट पक्षों के साथ ऐसे समझौतों को निष्पादित करता है और इस प्रकार निष्पादित समझौतों की शर्तों का अनुपालन करेगा;

- (छ) वह अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान अभिप्राप्त सभी संव्यवहार सूचनाओं, अभिलेखों, डेटा के बावत गोपनीयता बनाए रखेगा और प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी सूचना या डाटा को, जिसको साक्ष्य के रूप में अथवा किसी अन्य उद्देश्य के सिवाय ऐसा किया जाना कानून के अंतर्गत आवश्यक न हो, प्रस्तुत या साझा नहीं करेगा,

- (ज) वह प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और अन्य अनुदेशों से आबद्ध करेगा;

- (झ) वह प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या ऐसे अन्य मध्यवर्तियों को, जो प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्धारित या निष्पादित समझौतों में प्रदर्शित अनुसार अंतराल पर विवरण प्रस्तुत करेगा;

- (ञ) वह चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट 'आचार संहिता' का अनुपालन करेगा, और यह प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में अपने कार्यों के किसी अंश को करने के लिए किसी अन्य इकाई को नहीं सौंपेगा अथवा समनुदेशित या प्रत्यायोजित नहीं करेगा; और

(ट) आवेदक, उसके प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' मानदंड के अनुरूप होंगे।”

**XXVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (2) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“(2) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को अन्य खंड विनियामकों या किसी अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमतियाँ अभिप्राप्त करेगा और यह मध्यवर्तियों, डिपॉजिटरीयों, समाशोधन गृह, समाशोधन केन्द्रों के खातों को खोलने, प्राधिकृत हस्ताक्षारियों, डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने संयोजकता उपलब्ध कराने और सॉफ्टवेयर की अधिष्ठापन सम्बन्धी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।”

**XXIX. मुख्य विनियमों के विनियम 13 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“13. कारोबार का आरंभ.- (1) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा प्रलेखीकरण के अनुपालन किये जाने पर और अपने कार्यों से सम्बंधित अन्य औपचारिकताओं के लिए उद्घोषणाओं जिसके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण से कारोबार के आरम्भ का प्रमाणपत्र अनुदत्त किये जाने की वांछा करेगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा यह संतुष्ट होने पर कि प्रतिभूतियों के अभिरक्षक अपने संचालन आरंभ करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है, वह प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार 'कारोबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र' जारी कर सकेगा, जिसके पश्चात प्रतिभूतियों के अभिरक्षक योजनाबद्ध संचालन और गतिविधियों को आरंभ कर सकते हैं।”

**XXX. मुख्य विनियमों के विनियम 14 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“14. विधिमान्यता की अवधि.- (1) इन विनियमों के अधीन प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को अनुदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकरण अनुदत्त करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य बना रहेगा।

(2) प्राधिकरण, ऐसी अवधि के लिए, जो अभिदाताओं के हित में अवधारित करे, पंजीकरण प्रमाण पत्र की अवधि को बढ़ा या कम कर सकेगा। ऐसा विस्तार या कम किया जाना लेखबद्ध रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किया जायेगा। पंजीकरण की अवधि की समाप्ति पर प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को दिया गया कोई विस्तारण प्रतिभूतियों के अभिरक्षक पर आवद्ध होना और प्रतिभूतियों का अभिरक्षक पंजीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों के अनुसार अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(3) उप-विनियमों (1) और (2) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के दौरान, प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को अनुदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र का वार्षिक रूप से या किसी अन्य अवधि में पुनर्विलोकन किया जायेगा और प्राधिकरण द्वारा उसके पश्चात प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में उसकी निरंतरता विनिश्चित की जाएगी

(4) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक विस्तारित अवधि के लिए यथानुपात में दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का संदाय उस पर लागू कर और शुल्क के साथ जमा करेगा।”

**XXXI. मुख्य विनियमों का विनियम 15 हट जाएगा;**

**XXXII. मुख्य विनियमों के विनियम 16 के उप-विनियम (1) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“16. आस्ति सेवा शुल्क.- (1) प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों के अंतर्गत धारित आस्तियों पर अधिनियम के अंतर्गत, प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा लिए जाने वाले आस्ति सेवा शुल्क का निर्धारण चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(2) “आस्ति सेवा शुल्क” की गणना अधिनियम के अधीन विनियमित पेंशन स्कीमों के अंतर्गत प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा धारित आस्तियों के शेयर पत्रों के खरीद मूल्य और ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के दैनिक अंत अतिशेष के आधार पर की जाएगी।”

**XXXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 17 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“17. वार्षिक शुल्क.- प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्रत्येक वर्ष अप्रैल की 15 तिथि से पहले या पंजीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने या विस्तार के पंद्रह दिनों के भीतर दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार वार्षिक शुल्क के साथ-साथ उस पर लागू कर और शुल्क का संदाय प्राधिकरण को करेगा।”

**XXXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 18 को हटा दिया जाएगा;**

**XXXV. मुख्य विनियमों के विनियम 19 के उप-विनियम (1) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

**“19. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व.-**

- (1) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के निर्वहन के समय अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में सभी समय पर उचित सावधानी, विवेक, व्यावसायिक कुशलता और सम्यक तत्परता बरतेगा |

**XXXVI. मुख्य विनियमों के विनियम 19 के उप-विनियम (3) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “(3) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, अभिलेखों की निरंतरता और बैकअप सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा”,

**XXXVII. मुख्य विनियमों के विनियम 19 के उप-विनियम (4) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “(4) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय पर पेंशन स्कीमों के खातों में संव्यवहार का स्तर पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निर्देशों के अनुसार हो और इन खातों में धारित आस्तियों का इस्तेमाल स्पष्टतया केवल पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अधिकृत संव्यवहार के लिए किया गया है। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक समय पर प्रतिभूतियों के जारीकर्ता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए उपलब्ध करों से झूट की सूचना देगा।”

**XXXVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 19 के उप-विनियम (13) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “(13) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की पूर्व अनुमति को छोड़कर प्रतिभूतियों पर ऋणभार नहीं लगाएगा, जिनमें गिरवी रखने, उप्राधीयन, अथवा किसी प्रकार के प्रभार का निर्माण शामिल है।”

**XXXIX. मुख्य विनियमों के विनियम 19 के उप-विनियम (17) के तुरंत बाद विनियम 19 में नया उप-विनियम (18) इस प्रकार अन्तर्निविष्ट किया जाएगा:**

- “(18) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई मतदान नीति और साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन करेगा।”

**XL. मुख्य विनियमों के विनियम 19 में नया उप-विनियम (19) उप-विनियम (18) के तुरंत बाद इस प्रकार अन्तर्निविष्ट किया जाएगा:**

- “(19) धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय करना और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी रोकथाम और निवारण नीति विकसित करना और लागू करना, जिसमें शामिल हैं:-

- (i) अनुपालन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं; और
- (ii) धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण अभिदाता को हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान करना, जो अभिरक्षक की ओर से स्थापित किया गया है।”

**XLI. मुख्य विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (1) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “20. निगरानी, पुनर्विलोकन और मूल्यांकन प्रणाली और नियंत्रण.-** (1) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास अपने नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करने निगरानी करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त तंत्र होना चाहिए।”

**XLII. मुख्य विनियमों के विनियम 21 के उप-विनियम (1) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “21. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति.-** (1) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम, विनियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्र सरकार के किसी भी निर्देश के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।”

**XLIII. मुख्य विनियमों के विनियम 22 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

**“22. निरीक्षण और अंकेक्षण.-** (1) प्राधिकरण, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूतियों के अभिरक्षक का नियमित अंतराल पर निरीक्षण करेगा।

उपर्युक्त के बावजूद, वह कभी भी, जैसा वह उचित समझे, प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, या एक अंकेक्षक नियुक्त करके, प्रतिभूतियों के अभिरक्षक की लेखा बहियों, अभिलेख सहित कॉल अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और दस्तावेजों का निरीक्षण या संपरीक्षण इस विनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए करेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत निम्नलिखित भी हो सकेंगे -

- (क) अवसंरचनात्मक योग्यताओं प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अभिनिश्चित करना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियाँ, अभिलेख सहित कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रीति में बनाए रखा जा रहा है;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में उसे सौंपे गए क्रियाकलापों के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गए कार्य अभिदाताओं के हित में हों;
- (घ) यह अभिनिश्चित करना कि प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और अनुदेशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है;
- (ङ) अभिदाताओं, मध्यस्थों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच करना, जिसका प्रतिभूतियों के अभिरक्षक की क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ सकता है; या
- (च) ऐसे विषयों में, जो अभिदाताओं के हित में उचित समझे जाएं, स्वतः संज्ञान से जांच किया जाना।

(3) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण या अंकेक्षण कराने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है या किसी अन्य अर्हक अंकेक्षक को नियुक्त कर सकता है।

**स्पष्टीकरण.** - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, 'अर्हक अंकेक्षक' अभिव्यक्ति का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (18 का 2013) की धारा 141 से लिया गया होगा।”

**XLIV. मुख्य विनियमों के विनियम 23 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

**“23. निरीक्षण या अंकेक्षण के पूर्व सूचना.-** (1) विनियम 22 के अधीन कोई निरीक्षण या अंकेक्षण करने के पूर्व, प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या अंकेक्षक प्रतिभूतियों का अभिरक्षक को दस कार्य दिवस की सूचना देगा :

परन्तु यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है अभिदाताओं के हितों की तत्काल रक्षा के लिए निरीक्षण या अंकेक्षण आवश्यक है तो किसी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी

(2) निरीक्षण या अंकेक्षण के दौरान, प्रतिभूतियों का अभिरक्षक जिसके विरुद्ध निरीक्षण या अंकेक्षण की जा रही है, इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आवद्धकर होगा।”

**XLV. मुख्य विनियमों के विनियम 24 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

**“24. निरीक्षण और अंकेक्षण पर बाध्यता.-** (1) ऐसे प्रतिभूतियों के अभिरक्षक का, जिसके कार्यों का निरीक्षण या अंकेक्षण की जा रही है, और उसके प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी को प्राधिकरण, या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या अंकेक्षक को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में मौजूद सभी पुस्तकों, खातों, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों, अपेक्षित विवरण और सूचना को, ऐसे युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने चाहिए

(2) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या अंकेक्षक को उसके द्वारा अधिकृत किए गए परिसरों तक युक्तियुक्त पहुँच की अनुज्ञा देगा और प्रतिभूतियों के अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में की किसी भी पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा और प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या अंकेक्षक की राय में निरीक्षण या अंकेक्षण के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां उपलब्ध कराएगा।



- (3) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या अंकेक्षक को निरीक्षण और अंकेक्षण से संबंधित सभी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, जो निरीक्षण या अंकेक्षण के संबंध में उचित रूप से आवश्यक हो सकती है।”

**XLVI. मुख्य विनियमों के विनियम 25 के उप-विनियम (2) के तुरंत बाद नया उप-विनियम (3) इस प्रकार अन्तर्निविष्ट किया जाएगा :**

- “(3) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई रिपोर्ट या निरीक्षण या अंकेक्षण के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए गए कोई भी दस्तावेज़ या सूचना, प्राधिकरण के समक्ष किसी भी जांच, पूछताछ या अन्य कार्यवाही में स्वीकार्य होगी।”

**XLVII. मुख्य विनियमों के विनियम 27 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “27. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निरीक्षण और अंकेक्षण.- (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास प्रचालन सेवा स्तरीय करारों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिभूतियों का अभिरक्षक के निरीक्षण या अंकेक्षण का या दोनों का कार्य प्रतिवर्ष आधार पर या ऐसी अवधि पर, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार अपने हाथ में लेगा।
- 2) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस परिसर तक जो उसके अधिभोग में है, लेखा बहियों, अभिलेखों तक युक्तियुक्त पहुँच की अनुज्ञा देगा और यथास्थिति ऐसे निरीक्षण अथवा अंकेक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसी आवश्यक सूचना, जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, उपलब्ध करेगा।
- (3) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किए गए निरीक्षण या अंकेक्षण के प्रयोजन के लिए हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिभूतियों के अभिरक्षक से वसूली की जा सकती है।
- (4) अंकेक्षण या निरीक्षण का दायरा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।”

**XLVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 28 के उप-विनियम (1) के शीर्षक को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “28. पंजीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन.- (1) प्राधिकरण द्वारा प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अनुदत्त किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र इन बातों के अध्यधीन निलंबन, रद्दीकरण होगा यदि-”

**XLIX. मुख्य विनियमों के विनियम 28 के उप-विनियम (2) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “2) प्राधिकरण, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अभिदाताओं के हितों के लाभार्थ उप विनियम (1) के अधीन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने अथवा निलंबित करने के स्थान पर, पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों व निबंधनों को बदलने अथवा संशोधित करने का निर्देश दे सकता है अथवा कोई आदेश पारित कर सकता है, जैसे वह उचित समझे।”

**L. मुख्य विनियमों के विनियम 28 का उप-विनियम (3) हट जाएगा;**

**LI. मुख्य विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम (1) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “30. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का प्रभाव.- (1) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक जिसने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है या जिसने पंजीकरण के प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने पर नए सिरे से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है, या जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा रद्द या निलंबित किया गया है, वह प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने से प्रविरत होगा।”

**LII. मुख्य विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम (2) के शीर्षक को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण की तिथि से प्रतिभूतियों का अभिरक्षक-”

**LIII. मुख्य विनियमों के विनियम 34 का खंड (ड.) हट जाएगा;**

**LIV. मुख्य विनियमों के विनियम 34 के खंड (च) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- “(च) सूचना प्राप्तकर्ता को चेतावनी देना; या”

**LV. मुख्य विनियमों के विनियम 34 में खंड (च)के तुरंत बाद नया खंड (छ)इस प्रकार अन्तर्निविष्ट किया जाएगा:**

“(छ) सूचना प्राप्तकर्ता या इसके प्रधान अधिकारी या अन्य अधिकारियों या इससे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति पर आवश्यक समझे जाने वाले अन्य शर्तों, प्रतिबंधों या अनुपालनों का लागू करना।”

**LVI. मुख्य विनियमों की प्रथम अनुसूची (कारोबार प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र) में, “कारोबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र” शब्द को हर जगह “कारोबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;**

**LVII. मुख्य विनियमों की दूसरी अनुसूची (विनियमों के अंतर्गत देय शुल्क) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

**“दूसरी अनुसूची**

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 2015**

**[विनियमों 4(2), 10(3), 11(क), 14(4), और 17 को देखें]**

**विनियमों के अंतर्गत देय शुल्क**

**भाग क**

**शुल्क के रूप में देय राशि**

क्रमांक	शुल्क का प्रकार	राशि	प्रकृति और गणना	भुगतान का समय
1.	आवेदन शुल्क	रु 5,00,000 (रुपये पांच लाख) उस पर लागू कर और शुल्क सहित	गैर-वापसी योग्य स्थिर दर	पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए आवेदन जमा करने के समय
2.	पंजीकरण शुल्क	रु 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) उस पर लागू कर और शुल्क सहित	गैर-वापसी योग्य स्थिर दर	नियुक्ति की अवधि के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करते समय
3.	वार्षिक शुल्क	अभिरक्षा में रखी गई आस्तियों के 0.0005% या रु 10,00,000 (रुपये दस लाख) जो भी अधिक हो, उस पर लागू कर और शुल्क सहित।	गैर-वापसी योग्य अभिरक्षण के अधीन आस्तियों पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च पर विचार किया जाएगा	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल से पहले अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के 15 दिन के भीतर

**भाग ख**

**इस भाग के प्रयोजनार्थ,-**

I. उपर्युक्त निर्दिष्ट शुल्क से "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण" के पक्ष में नई दिल्ली में डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से संदेय होगा अथवा पीएफआरडीए के नामित बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए संदेय होगा।

II."अभिरक्षा के अधीन आस्तियां" से अभिप्राय प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा धारित और उसके द्वारा प्रकट की गयी ऋण लिखतों के अंकित मूल्य और शेयर पत्रों के खरीद मूल्य के आधार पर आस्तियों का मूल्य है, वार्षिक शुल्क के संदाय उस पर लागू करों और शुल्कों के साथ अभिरक्षण के अधीन आस्तियों का विवरण जो ऐसे प्रारूप में होगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और जिसके पूर्ण व सत्य होने का सत्यापन प्रतिभूतियों के अभिरक्षक की अभिरक्षण सेवाओं के कार्यपालन के प्रमुख द्वारा किया गया हो।

III. यह प्रमाणित किया जाता है की पंजीकरण प्रमाण पत्र के विस्तारण की स्थिति में पंजीकरण शुल्क अथवा आवेदन शुल्क का संदाय (उपर्युक्त बिंदु 2 में वर्णित) नहीं किया जाएगा। यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र के विस्तारण को अनुमति प्राप्त होती है तो प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यथानुपात वार्षिक शुल्क का संदाय तिमाही आधार पर करेगा – संदर्भ विनियम 14(4)

IV. प्राधिकरण के पास समय समय पर किसी भी और सभी शुल्कों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।”

**LVIII. मुख्य विनियमों की तीसरी अनुसूची जो 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' मानदंड के संबंध में है, को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

### “तीसरी अनुसूची

#### पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

#### (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 2015

#### [विनियम 8(2)(ज) और 11(ट) को देखें]

‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति’ के विनिश्चय के लिए मानदंड

इस विनिश्चय के प्रयोजनार्थ की क्या आवेदक “उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति” है, प्राधिकरण किसी भी मानक को ध्यान में रख सकता है, जिसे वह उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं :

#### भाग क

- (क) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
- (ख) दोषसिद्धि या नागरिक देनदारी का न होना;
- (ग) सक्षमता;
- (घ) उत्तम प्रतिष्ठा और चरित्र;
- (ङ) दक्षता और ईमानदारी; और
- (च) वित्तीय विलेयता और शुद्ध मालियत (नेटवर्थ)।

#### भाग ख

वह व्यक्ति, जो निम्नलिखित कारणोंवश अयोग्य है, वह ‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति’ नहीं माना जाएगा -

- (1) प्राधिकरण द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के अधीन आपराधिक शिकायत या सूचना दायर की गई हो और जो लंबित हो;
- (2) किसी भी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया हो और जो लंबित हो;
- (3) प्राधिकरण या किसी वित्तीय विनियामक या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय बाजारों या बीमा कानून से संबंधित किसी भी मामले में जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबंधात्मक, निषेधात्मक या रोक का आदेश पारित किया गया हो और आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई हो;
- (4) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा लाइसेंस या पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो;
- (5) प्राधिकरण द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई हो और जो लंबित हो;
- (6) किसी अदालत द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी अपराध में नैतिक दोष या आर्थिक अपराधों या धोखाधड़ी से संबंधित दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया हो;
- (7) जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई समापन प्रक्रिया आरंभ की गई हो या समापन का आदेश पारित किया गया हो;
- (8) जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दिवालियापन प्रक्रिया लंबित हो या उसे दिवालिया घोषित किया गया हो और उसे उन्मोचन नहीं किया गया हो;

- (9) जिस व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत दिमाग का पाया गया हो और यह निर्णय लागू हो;
- (10) जिस व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;
- (11) जिस व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो;
- (12) यदि किसी सरकारी या संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश या सूचना हो, जो किसी भी प्रकार की कार्रवाई या जांच या अन्य प्रक्रियाओं के लिए हो, जो उस व्यक्ति के दायित्वों के प्रदर्शन को रोकने, प्रतिबंधित करने या अन्यथा चुनौती देने या बाधित करने वाली हो, और यह कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड जैसे किसी भी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई शामिल हो, जिसका प्रभाव प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में प्राधिकरण द्वारा विनियमित आस्तियों के लिए सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हो; या
- (13) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कोई अन्य अयोग्यता।”

**LIX. मुख्य विनियमों की चौथी अनुसूची (आचार संहिता) में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:**

क. चिह्नों, शब्दों और संख्याओं, "विनियम 11(ज) और 18 को देखें" को "विनियम 11(ज)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

ख. खंड 1.2 में "प्रमुख प्रबंधन कार्मिक" शब्दों को "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।”

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./761/2023-24]

**नोट :** पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक ) विनियम, 2015 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से दिनांक 14 मई, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 160 में और इसके पश्चातवर्ती संशोधन को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2021 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से दिनांक 22 सितंबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 404 में प्रकाशित किया गया था।

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2024

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CUSTODIAN OF SECURITIES)  
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2023**

**No. PFRDA/16/12/06/0001/2017-REG-CUST.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (n), (o), (p) and (w) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made.

**I. In sub-regulation (2) of regulation 1 of the principal regulations, the objective of regulation shall be substituted as follows:**

“The objective of the regulations is to standardize the framework for registration, monitoring, supervision and internal control of custodian of securities to enable it to establish high standards for internal control and operational conduct,

with the aim of protecting the assets of the pension schemes covered under the Act and ensuring proper management of risk.”

**II. In sub-regulation (1) of regulation 2 of the principal regulations,**

**a. Clause (c) shall be deleted;**

**b. Clause (e) shall be substituted as follows:**

“(e) “custodial services” shall mean custodial services as defined under the SEBI (Custodian) Regulations, 1996 (with amendments thereof) save to the extent permitted by the Authority, in accordance with the investment guidelines;”

**c. Clause (g) shall be deleted;**

**d. Clause(h) shall be deleted;**

**III. Sub-regulation (2) of regulation 2 of the principal regulations shall be deleted;**

**IV. Sub-regulation (3) of regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(3) No custodian of securities shall commence any activity relating to pension schemes covered under the Act, except in accordance with the conditions of a certificate of registration granted by the Authority and in conformity with the provisions of the Act, rules and these regulations.”

**V. Sub-regulation (4) of regulation 3 of the principal regulations shall be deleted;**

**VI. Sub-regulation (5) of regulation 3 of the principal regulations shall be deleted;**

**VII. Sub-regulation (2) of regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(2) Upon the selection process being initiated through a public notice, an eligible entity desirous to undertake the business of custodian of securities may make an application accompanied by non-refundable application fee, along with applicable taxes and levies thereon as specified in the Second Schedule.”

**VIII. Sub-regulation (1) of regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“**5. Application to conform to requirements.-** (1) An application for grant of certificate of registration is liable to be rejected, *inter alia* on any of the following grounds, namely: —

- (a) is not complete in all respects and does not conform to the requirements specified in these regulations and the selection process;
- (b) does not contain such additional information as required by the Authority;
- (c) is incorrect, false or misleading in nature or omits to disclose material information;
- (d) is not in compliance with the eligibility requirements as specified in these regulations and the criteria laid down in the selection process; or
- (e) in the opinion of the Authority, the application is not in the interest of subscribers or orderly growth of the pension schemes covered under the Act.”

**IX. Sub-regulation (2) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Authority, within the time granted by the Authority.”

**X. Sub-regulation (2) of regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(2) For the purpose of verification of information, the Authority may appoint any person including any of its officers, an auditor or external agency.”

**XI. Sub-regulation (1) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“**8. Eligibility criteria.-** (1) For the purpose of grant of a certificate of registration, an applicant satisfying the following eligibility criteria may submit its application for grant of certificate of registration:-”

**XII. Clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(a) the applicant shall be registered with the Securities and Exchange Board of India, as a custodian of securities for the past five years, as on the date of application;”

**XIII. Clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(b) direct or indirect cross holding by any pension fund or its sponsor, trustee bank or central record keeping agency in the custodian of securities shall be less than twenty per cent.

Provided that in the same group where the sponsor of a pension fund or central record keeping agency or their associates, are holding twenty per cent. or more of the voting rights of the share capital of a custodian, it can apply to become custodian with the Authority under the following conditions:

- (i) the sponsor, associates or the holding company, as the case may be, have net worth of at least rupees fifty thousand crore at all times;
- (ii) majority of the directors of the custodian shall be those who do not represent the interests of the sponsor or its associates;
- (iii) neither the custodian nor the pension fund shall be a subsidiary of each other;
- (iv) no person shall be a director of both the custodian and the pension fund; and
- (v) the custodian and the pension fund shall sign an undertaking that they will act independently of each other in their dealings with the schemes.

Explanation:- For the purpose of this proviso the expression “holding company” shall have the meaning as provided in section 2(46) of the Companies Act, 2013 (Act No. 18 of 2013).”

**XIV. Clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(c) the applicant’s holding of assets under custody shall be as defined under the selection process;”

**XV. New clause (d) shall be inserted immediately after clause (c), in sub-regulation (1) of regulation 8 of the principal regulations as follows:**

“(d) any other criteria or condition(s) as may be laid down under the selection process.”

**XVI. In sub-regulation (2) of regulation 8 of the principal regulations, the heading of the sub-regulation shall be substituted as follows:**

“(2) For the purpose of grant of a certificate of registration, the Authority shall take into account any or all matters which are relevant to the activities of a custodian of securities, having regard to the pension schemes covered under the Act, but not limited to the following namely-”

**XVII. Clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(b) the applicant has the ability to segregate activities of the pension schemes covered under the Act, from its other custodial clients and maintain firewall in respect of its distinct activities;”

**XVIII. Clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(c) the applicant has the requisite approvals under any applicable law in force in connection with providing custodial services in respect of permissible securities under the pension schemes covered under the Act;”

**XIX. Clause (d) of sub-regulation (2) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(d) the applicant has in its employment adequate and competent persons who have the experience, capacity and ability of managing the activity of the custodian of securities;”

**XX. Clause (e) of sub-regulation (2) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(e) the applicant has prepared a complete manual, setting out the systems and procedures to be followed by it for the effective and efficient discharge of its functions and arm’s length relationship to be maintained with its other activities;”

**XXI. Clause (f) of sub-regulation (2) of regulation 8 of the principal regulations shall be deleted;**

**XXII. Clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 8 of the principal regulations shall be deleted;**

**XXIII. Clause (h) of sub-regulation (2) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(h) the applicant and its principal officer(s), is a ‘fit and proper person’, as specified in the Third Schedule.

Explanation: ‘principal officer’ for this purpose shall mean applicant’s key managerial personnel as defined under section 2(51) of the Companies Act, 2013; and”

**XXIV. Sub-regulation (3) of regulation 8 of the principal regulations shall be deleted;****XXV. Regulation 9 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

**“9. Exemptions in certain cases from eligibility criteria.–** (1) An applicant shall fulfil the eligibility criteria specified in regulation 8.

- (2) If an applicant does not fulfil any criteria specified in sub-regulation (2) of regulation 8, it may, request the Authority, by making an application seeking exemption from such criteria.
- (3) Nothing contained in sub-regulation (2), shall confer the applicant any right to be granted any exemption.
- (4) In the opinion of the Authority, if the non-fulfilment of the conditions under sub-regulation (2) of regulation 8, of which relaxation is sought may not prejudicially affect the interest of the subscriber(s), it may grant exemption for reasons to be recorded in writing. The Authority may in such circumstances provide a conditional registration and impose such additional conditions as it may deem fit for the grant of certificate of registration;”

**XXVI. Regulation 10 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

**“10. Procedure for grant of certificate of registration and payment of registration fee. -** (1) An application received in response to the Authority’s invitation under regulation 4, shall be evaluated in accordance with these regulations, and under such selection process as may be determined at the time of inviting applications.

- (2) The best value proposal evaluated during the selection process shall be offered to act as custodian of securities for the pension schemes covered under the Act.
- (3) Upon acceptance of the offer under sub-regulation (2), the applicant shall deposit the registration fee along with applicable taxes and levies thereon as specified in Second Schedule.
- (4) Upon acceptance of the registration fee along with applicable taxes and levies thereon from the applicant, the Authority may, subject to such terms and conditions as it may specify, grant a certificate of registration in the format specified in First Schedule.
- (5) No existing custodian of securities shall be entitled to claim any priority or privilege for grant of certificate of registration under the selection process.
- (6) Where the existing custodian of securities fails to make an application for new registration or its application has been refused under these regulations, the existing custodian of securities shall: -
  - (a) transfer the assets, records, documents or information that are in its control to another custodian of securities, as directed by the Authority, at its own cost; and
  - (b) be subject to the direction of the Authority till all such transfers or actions are completed.”

**XXVII. Regulation 11 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

**“11. Terms and conditions of certificate of registration.-** The certificate of registration granted to the applicant or the custodian of securities shall be subject to the following conditions, namely.-

- (a) it shall pay the annual fee along with applicable taxes and levies thereon as specified in these regulations;
- (b) it shall provide custodial and depository services related to all securities, permitted to be held by the custodian of securities under the pension schemes covered under the Act;
- (c) it fulfills and complies with the eligibility conditions as determined by the Authority at all times;

For this purpose, it shall submit a certificate evidencing compliance with the eligibility conditions to the Authority on annual basis. within thirty days of closure of accounts for the financial year or such period as determined by the Authority.

- (d) all representations, warranties, information, disclosures, reports, documents and statements submitted are true, complete, accurate and correct in all respects and do not contain any incorrect statement or omits to disclose any material fact and shall inform the Authority of any material change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on its registration;
- (e) it has taken all necessary actions and steps to accept the registration as custodian of securities and binds itself for the due performance of its obligations and shall discharge its obligations as per the provisions of the regulations and requirements under the selection process;
- (f) it executes such agreements with the parties as directed by the Authority or as specified under these regulations and shall comply with the terms of the agreements so executed;

- (g) it shall maintain confidentiality with respect to all transactions, records, data and information received while discharging its obligations and shall not, without the prior permission of the Authority, produce or share such data or information as evidence or for any other purpose except as required under the process of law;
- (h) it shall comply with the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and other instructions issued by the Authority;
- (i) it shall submit statements to the Authority or the National Pension System Trust or to such other intermediaries at such intervals as may be determined by the Authority or the National Pension System Trust or as provided in the agreements executed;
- (j) it shall comply with the 'code of conduct' as specified in the Fourth Schedule, and it shall not assign or delegate or outsource any part of its functions as a custodian of securities to any other entity without the prior permission of the Authority; and
- k) the applicant, its principal officers and compliance officer shall be compliant of the 'fit and proper person' criteria as specified in Third Schedule."

**XXVIII. Sub-regulation (2) of regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

"(2) the custodian of securities shall further obtain necessary approvals from other sectoral regulators or any other authorities and it shall comply with the requirements of the intermediaries, depositories, clearing houses, exchanges with regard to opening of accounts, authorizing signatories, obtaining digital signatures, providing connectivity and software installation."

**XXIX. Regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

**"13. Commencement of business.-** (1) Upon completion of documentation by the custodian of securities and other related formalities for undertaking its operations for which it has been granted registration, the custodian of securities shall seek issuance of "certificate of commencement of business" from the Authority.

- (2) The Authority upon being satisfied that the custodian of securities is fully equipped to commence its operations may issue a "certificate of commencement of business" as specified in the First Schedule, after which the custodian of securities can undertake the operations and activities envisaged."

**XXX. Regulation 14 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

**"14. Period of validity.-** (1) A certificate of registration granted under these regulations shall be valid for a period of five years from the date of grant of certificate of registration.

- (2) The Authority may, however extend the tenure of the certificate of registration, for such period as it may determine in the interest of the subscribers. Such extension shall be granted for reasons to be recorded in writing. Any extension granted to the custodian of securities upon expiry of tenure of registration shall be binding on the custodian of securities and it shall discharge its functions in accordance with the terms and conditions of the certificate of registration.
- (3) During the validity of certificate of registration under sub-regulations (1) and (2), the certificate of registration granted to the custodian of securities shall be reviewed annually or any other period and its continuity shall be decided thereupon by the Authority.
- (4) The custodian of securities shall deposit the annual fee along with applicable taxes and levies thereon, as specified under Second Schedule, on *pro rata* basis for the extended period of registration."

**XXXI. Regulation 15 of the principal regulations shall be deleted;**

**XXXII. Sub-regulation (1) of regulation 16 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

**"16. Asset servicing charges.-** (1) The asset servicing charges that can be collected by the custodian of securities on the assets held under the pension schemes covered under the Act shall be determined as per the selection process.

- (2) The asset servicing charges shall be calculated on the basis of daily closing balance of assets held by the custodian of securities under the pension schemes covered under the Act on face value of debt instruments and on purchase price of equity instruments."

**XXXIII. Regulation 17 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

**"17. Annual fee.-** A Custodian of securities shall deposit with the Authority annual fee along with applicable taxes and levies thereon, as specified in Second Schedule before the 15th of April each year or within fifteen days of the issuance or extension of certificate of registration."

**XXXIV. Regulation 18 of the principal regulations shall be deleted;**



**XXXV. Sub-regulation (1) of regulation 19 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“**19. General obligations of custodian of securities.-** (1) The custodian of securities shall exercise at all times reasonable care, prudence, professional skill and diligence while discharging its duties and responsibilities in the best interest of the subscribers.”

**XXXVI. Sub-regulation (3) of regulation 19 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(3) The custodian of securities shall take all necessary precautions to ensure the continuity of records including back up of the same.”

**XXXVII. Sub-regulation (4) of regulation 19 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(4) The custodian of securities shall ensure at all times that transactions in the pension schemes accounts are put through according to the instructions of the pension fund or the National Pension System Trust and the securities held in such accounts are used only for transactions explicitly authorized by the pension fund or the National Pension System Trust. The custodian of securities shall inform the issuer of securities in a timely manner, the exemption from taxes that are available to National Pension System Trust;”

**XXXVIII. Sub-regulation (13) of regulation 19 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(13) The custodian of securities shall not encumber the securities in any manner including by an act of pledging, hypothecating or creating any charge or lien on the said securities except in accordance with the guidelines issued by the Authority, and with the prior approval of the National Pension System Trust;”

**XXXIX. New sub-regulation (18) regulation shall be inserted immediately after sub-regulation (17) in regulation 19 of the principal regulations as follows:**

“(18) The custodian of securities shall adhere to the voting policy and cyber security policy issued by the Authority for the purpose.”

**XL. New sub-regulation (19) shall be inserted immediately after newly inserted sub-regulation (18) in Regulation 19 of the principal regulations as follows:**

“(19) Take all measures necessary for prevention of fraud and develop and implement a fraud prevention and mitigation policy in accordance with the guidelines issued by the Authority, including: -

- (i) laying down internal controls to be followed and ensure that such controls are adequate and operating effectively; and
- (ii) making provision for indemnifying the subscriber for any loss on account of fraud or negligence on the part of custodian, which has been established.

**XLI. Sub-regulation (1) of regulation 20 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“**20. Monitoring, review and evaluating systems and controls.-** (1) A custodian of securities shall have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating the custodian’s controls, systems, procedures and safeguards.”

**XLII. Sub-regulation (1) of regulation 21 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“**21. Appointment of compliance officer.-** (1) A custodian of securities shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and other instructions, issued by the Authority or any instructions from National Pension System Trust or the Central Government.”

**XLIII. Regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“**22. Inspection and audit.-** (1) The Authority shall inspect the custodian of securities at regular intervals as it deems fit.

Notwithstanding the above, it may at any time as it deems fit, undertake directly or through its authorized representative, or appoint an auditor, conduct an inspection or audit of the books of accounts, records including the call records and electronic records and documents of the custodian of securities for the purposes as specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include,-

- (a) ascertaining the infrastructural capabilities, systems and procedures;
- (b) ensuring that the books of account, records including call records, electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;

- (c) ensuring that the affairs of the custodian of securities, in relation to the activities entrusted with, are conducted in a manner which is in the interest of the subscriber;
- (d) ascertaining whether the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority are being complied with;
- (e) inquiring into the complaints received from subscriber(s), intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the activities of the custodian of securities; or
- (f) inquiring *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.

(3) The Authority may appoint one or more authorized representatives or, appoint a qualified auditor to undertake the inspection or audit referred to in sub-regulation (1).

Explanation.- For the purpose of this sub-regulation, the expression “qualified auditor” shall have the meaning derived from section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).”

**XLIV. Regulation 23 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“23. **Notice before inspection or audit.**- (1) Before undertaking an inspection or audit under regulation 22, the Authority or its authorized representative or the auditor shall give ten working days’ notice to the custodian of securities:

Provided that no notice shall be required if the Authority is satisfied that an inspection or audit is for immediate safeguarding of the interest of the subscribers.

(2) During the course of an inspection or audit, the custodian of securities, of which the inspection or audit is being carried out shall be bound to discharge its obligations as specified in these regulations.”

**XLV. Regulation 24 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“24. **Obligations on inspect and audit.**- (1) The custodian of securities, which is being inspected or audited, and every director, officer and employee thereof, shall produce to the Authority, or its authorized representative or auditor, such books, accounts, records and other documents in its custody or control and furnish such statements and information, within such time as may be provided.

(2) The custodian of securities shall allow the Authority or its authorized representative or the auditor to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the custodian of securities or any other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the Authority or its authorized representative or auditor are relevant for the purpose of the inspection or audit.

(3) The custodian of securities shall give to the Authority or the National Pension System Trust, or its authorized representative or auditor all assistance in connection with the inspection and audit which may reasonably be required in connection with the inspection or audit.”

**XLVI. New sub-regulation (3) shall be inserted immediately after sub-regulation (2) in regulation 25 of the principal regulations as follows:**

“(3) The report submitted by the authorized person or any documents or information so collected by such person, during the course of inspection or audit, would be admissible in any investigation or inquiry or any other proceedings before the Authority.”

**XLVII. Regulation 27 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“27. **Inspection and audit by National Pension System Trust.** - (1) The National Pension System Trust shall undertake directly or through its authorized representative, inspection or audit or both of the custodian of securities, on an annual basis or at such other period as may be determined by the Authority in relation to operational agreements executed and in accordance with the provisions of Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015.

(2) The custodian of securities shall allow the National Pension System Trust, or its authorized representative to have a reasonable access to the premises occupied by it, books of accounts, records, technology infrastructure, and provide necessary information as may be required by it for the purpose of such inspection or audit, as the case may be.

(3) The National Pension System Trust shall be entitled to recover from the custodian of securities such expenses incurred by it for the purposes of inspection or audit undertaken directly or through its authorized representative.

(4) The scope of audit or inspection may be determined by the Authority.”

**XLVIII. In sub-regulation (1) of regulation 28 of the principal regulations, the heading of the sub-regulation shall be substituted as follows:**

**“28. Cancellation or suspension of certificate of registration.-** (1) The registration granted by the Authority to act as a custodian of securities is liable to be cancelled or suspended, if the—”

**XLIX. Sub-regulation (2) of regulation 28 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(2) The Authority may without prejudice to the powers under sub-regulation (1), instead of cancelling or suspending the certificate of registration, direct for varying or modifying the terms and conditions of the certificate of registration as it may deem fit, or pass any other order, as may be deemed beneficial in the interest of the subscribers, for reasons to be recorded in writing.”

**L. Sub-regulation (3) of regulation 28 of the principal regulations shall be deleted;**

**LI. Sub-regulation (1) of Regulation 30 of the principal regulations, shall be substituted as follows:**

**“30. Effect of suspension or cancellation of certificate of registration. –** (1) A custodian of securities which has not applied for registration or which has failed to obtain a certificate of registration afresh upon expiry of tenure of certificate of registration, or certificate of registration of which has been cancelled or suspended by the Authority shall, on and from the date determined by the Authority, cease to carry on any activity as custodian of securities.”

**LII. In sub-regulation (2) of regulation 30 of the principal regulations, the heading of the sub-regulation shall be substituted as follows:**

“(2) On and from the date of suspension or cancellation of certificate of registration, the custodian of securities shall—”

**LIII. Clause (e) of regulation 34 of the principal regulations shall be deleted;**

**LIV. Clause (f) of regulation 34 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(f) warning the noticee; or”

**LV. New clause (g) shall be inserted immediately after clause(f) in regulation 34 of the principal regulations as follows:**

“(g) imposition of any other condition, restrictions or compliances as may be deemed necessary upon the noticee or its principal officer or other officers or any other person concerned with it.”

**LVI. In First Schedule (certificate for commencement of business) of the principal regulations, the words “certificate for commencement of business” wherever appearing, shall be substituted with “certificate of commencement of business”;**

**LVII. Second Schedule (Fee payable under the regulations) of the principal regulations shall be substituted as follows:**

**“SECOND SCHEDULE**

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CUSTODIAN OF SECURITIES)  
REGULATIONS, 2015**

[See regulations 4(2), 10 (3), 11(a), 14(4), and 17]

**FEES PAYABLE UNDER THE REGULATIONS**

**PART A**

**AMOUNT TO BE PAID AS FEES**

S. No.	Type of fee	Amount	Nature and calculation	Time of payment
1.	Application Fee	Rs 5,00,000 (Rupees five lakh) along with applicable taxes and levies thereon	Non-Refundable Flat Rate	At the time of submission of application for grant of Certificate of Registration
2.	Registration fee	Rs 25,00,000 (Rupees twenty five lakh) along with applicable taxes and levies thereon	Non-Refundable Flat Rate	At the time of grant of registration certificate for the tenor of appointment
3.	Annual fee	0.0005% of Assets under custody or Rs 10,00,000 (Rupees ten lakh) whichever is higher, along with applicable taxes and levies thereon.	Non-Refundable Assets under custody shall be considered as on 31st March of preceding financial year.	Payable by 15th of April of every financial year or within fifteen days of grant of certificate of registration.

**PART B****For the purpose of this Part,-**

- I. The fees specified above shall be payable by demand draft or bankers cheque in favour of “The Pension Fund Regulatory and Development Authority” at New Delhi or through electronic transfer in the designated bank account of PFRDA.
- II. The expression “assets under custody” shall mean the value of the assets calculated on face value of debt instruments and of purchase value of equity instruments held by the custodian of securities as disclosed by it. The payment of annual fee with applicable taxes and levies thereon shall be accompanied by a statement of assets under custody which shall be in such format as may be determined by the Authority and shall be certified to be true and complete by the functional head of the custody services of the custodian of securities.
- III. It is clarified that no registration fee or application fee (as shown against item 2 above) shall be payable in case of extension of the Certificate of registration. A custodian of securities shall pay *pro rata* annual fee on quarterly basis, if the extension of certificate of registration is granted – Ref Regulation 14 (4).
- IV. The Authority reserves the right to amend all or any of the fees from time to time.”

**LVIII. Third Schedule of the principal regulations pertaining to ‘fit and proper person’ criteria shall be substituted as follows:**

**“THIRD SCHEDULE****PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(CUSTODIAN OF SECURITIES) REGULATIONS, 2015**

[See regulation 8(2)(h) and 11(k)]

**Criteria for determining a ‘fit and proper person’**

For determining whether any person is a 'fit and proper person', the Authority may take into account any factors as it deems fit, including but not limited to the following criteria:

**PART A**

- (a) financial integrity;
- (b) absence of convictions or civil liabilities;
- (c) competence;
- (d) good reputation and character;
- (e) efficiency and honesty; and
- (f) financial solvency and net worth.

**PART B**

A person shall not be considered as a "fit and proper person" if any of the following disqualifications are incurred:-

- (1) criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed against such person by the Authority and which is pending;
- (2) charge sheet has been filed against such person by any enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
- (3) an order of restraint, prohibition or debarment has been passed against such person by the Authority, or any financial regulator or enforcement agency in any matter concerning securities laws or financial markets or insurance law and a period of three years from the date of expiry of period specified in the order has not elapsed;
- (4) license or registration has been cancelled by any financial sector regulator(s) during last five years;
- (5) recovery proceedings have been initiated by the Authority against such person and are pending;
- (6) an order of conviction has been passed against such person by a court for any offence involving moral turpitude or involving economic offences or fraud;
- (7) any winding up proceedings have been initiated or an order for winding up has been passed against such person;
- (8) any insolvency proceedings is pending against such person or where he has been declared insolvent and not discharged;
- (9) such person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;

- (10) such person has been categorized as a willful defaulter;
- (11) such person has been declared a fugitive economic offender;
- (12) there is an order or notice of any action or investigation or other proceedings of any nature whatsoever, against the person by any governmental or statutory authority which would restrain, prohibit or otherwise challenge or impede the performance of obligations and that there is adverse proceedings against it from any financial sector regulator(s) including the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India or the Securities and Exchange Board of India, of a nature that could adversely affect the ability to provide the services as custodian for the assets regulated by the Authority; or
- (13) any other disqualification as may be determined by the Authority;”

**LIX. In Fourth Schedule (Code of Conduct) of the principal regulations,**

- a. the symbols, words and numerals, “See regulation 11(j) and 18” shall be substituted with “See regulation 11(j)”; and
- b. the words “key management personnel” in clause 1.2 shall be substituted with “key managerial personnel”.

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./761/2023-24]

**Note:** The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015 were published *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/10, on the 14<sup>th</sup> May, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 160, and were subsequently amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2021 published *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/10, on the 22<sup>nd</sup> September, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 404.